

19/9/24

पत्तावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षों को पक्षों अनु।
रुन-रुन कर तीन-चार आवाजें दिसवाई गई। अलग
कोम डालने से पुत्र है। अतः पक्षों में अधिवक्ता
पक्षों के अनुपात्त रहे पर पक्षों का पक्षी-पक्ष
अलग हाजरी। अलग पंरती में रखिदि किया जाता है।
पत्तावली में सल सुनाए होकर नम्बर से कर ही।
निर्देश सुनाया गया।

